भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3105
दिनांक 07 अगस्त 2025

वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन

3105. **डॉ. राजेश मिश्राः**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत के जी-20 नेतृत्व में शुरू किए गए वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (जीबीए) के उद्देश्यों और प्रमुख घटकों को परिभाषित किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस गठबंधन की वर्तमान स्थिति क्या है और जीबीए के अंतर्गत की गई अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियाँ क्या हैं;

(ग) भारत की जैव ईंधन अर्थव्यवस्था के संबंध में इस गठबंधन से क्या लाभ होने की संभावना है; और

(घ) क्या सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में जैव ईंधन के उपयोग के लिए कोई जागरूकता अभियान चलाया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) जी हाँ। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (जीबीए) के आधारभूत प्रपत्र की धारा 1 में इसके मिशन और उद्देश्यों को परिभाषित किया गया है। विवरण अनुलग्नक-1 में देखा जा सकता है।

(ख) दिनांक 24 जुलाई 2025 को आयोजित पाँचवीं अस्थायी कार्यकारी समिति (टीईसी) की बैठक के दौरान जीबीए ने औपचारिक रूप से अपने प्रशासन ढाँचे को अपनाया, जिससे एक पूर्ण संस्थागत अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में इसकी स्थापना हुई। इसके अतिरिक्त, अक्टूबर 2024 में, जीबीए ने नई दिल्ली में अपने सचिवालय की स्थापना के लिए भारत सरकार के साथ मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

जीबीए की सदस्यता 32 देशों और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तक विस्तारित हो गई है, और इसके साथ-साथ अन्य देशों और संगठनों ने भी इसमें गहरी रुचि दिखाई है। अपनाए गए प्रशासन ढाँचे में प्रत्येक हितधारक-सदस्यों, पर्यवेक्षकों और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों - की भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। प्रशासन ढाँचे में उद्योग गठबंधन परिषद् की भी स्थापना की गई है जो उद्योग के साथ जुड़ने के लिए एक औपचारिक तंत्र प्रदान करता है।

(ग) जीबीए का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत को एथेनॉल, संधारणीय विमानन ईंधन (एसएएफ) और संपीडित जैव गैस (सीबीजी) आदि सहित जैव ईंधनों के लिए एक ज्ञानाधार और उत्पादन केंद्र के रूप में स्थापित करके भारतीय उद्योगों को अतिरिक्त अवसर प्रदान करना है। जीबीए में सक्रिय भूमिका वैश्विक जैव ईंधन क्षेत्र में भारत की स्थिति को ऊँचा उठाने में मदद करती है।

(घ) एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में, जीबीए ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर जैव ईंधन के बारे में जागरूकता फैलाने और इसे अपनाने के निमित्त बढ़ावा देने के लिए कई प्रभावशाली पहल की हैं। जीबीए ने सीओपी28, सीओपी29, और विश्व आर्थिक मंच, भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 और 2025 जैसे प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में सक्रिय रूप से भाग लिया है, जिससे नीति और उद्योग के बीच दृश्यता और आकर्षण पैदा हुआ

है। इसने कई कार्यक्रमों की मेजबानी की है जिनमें क्यूरेटेड गोलमेज सम्मेलन, पैनल चर्चाएँ, ज्ञान की वेबिनार श्रृंखला और एक संयुक्त वक्तव्य का विमोचन शामिल है। इसके अलावा, इसने जी20 और जी7 मंचों पर उच्च-स्तरीय संवादों में भाग लिया है, जिससे संधारणीय ऊर्जा परिवर्तनों पर वैश्विक आख्यान में योगदान मिला है।

अपनी पहुँच ओर बढ़ाते हुए, जीबीए ने जैव ईंधन के प्रमुख तथ्यों और लाभों को उजागर करने के लिए "क्या आप जानते हैं" पहल जैसे कई सोशल मीडिया अभियान शुरू किए हैं। इन प्रयासों के पूरक के रूप में, जीबीए ने "भारत के ऊर्जा परिवर्तन में गैर-खाद्यान्न आधारित जैव ईंधन की क्षमता" और "डीज़ल परिवर्तन में जैव-आधारित डीज़ल की भूमिका" विषय पर दो श्वेतपत्र भी जारी किए हैं, जो वैश्विक डीकार्बोनाइज़ेशन और संधारणीय ऊर्जा विकास में जैव ईंधन की महत्वपूर्ण भूमिका की वकालत करते हैं।

*****

अनुलग्नक-I

जीबीए के उद्देश्यों को सदस्य देशों द्वारा हस्ताक्षरित गठबंधन के आधारभूत प्रपत्र में परिभाषित किया गया है:-

1. जीबीए का उद्देश्य परिवहन, बिजली, सीमेंट और अन्य कठिनता से काम होने वाले क्षेत्रों सहित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने में संधारणीय जैव ईंधन की कार्यनीतिक भूमिका की मान्यता को बढ़ावा देना है।

2. तद्नुसार, जीबीए का उद्देश्य विश्वव्यापी विकास और संधारणीय जैव ईंधनों के उपयोग को समर्थन प्रदान करना, राष्ट्रीय जैव ईंधन कार्यक्रमों के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना, जैव ईंधन मूल्य श्रृंखला में नीतिगत अभ्यास-साझाकरण और क्षमता निर्माण अभ्यासों को बढ़ावा देना, जन धारणाओं को संबोधित करना और उनमें सुधार लाने के साथ-साथ वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना है।

3. जीबीए का उद्देश्य जैव ऊर्जा, जैव अर्थव्यवस्था और ऊर्जा परिवर्तन के क्षेत्रों में, व्यापक रूप से, स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय और बायोफ्यूचर प्लेटफ़ॉर्म सहित, प्रासंगिक वर्तमान क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग और उनके पूरक के रूप में कार्य करना है।

4. जीबीए निम्नलिखित के माध्यम से जैव ईंधन अपनाने को बढ़ावा देने का मिशन आगे बढ़ाने की मंशा रखता है:

   क. विभिन्न मंचों के माध्यम से, संधारणीय जैव ईंधनों के लाभों के बारे में सभी स्तरों पर जागरूकता बढ़ाना;

   ख. फीडस्टॉकों का प्रभावी, आर्थिक और संधारणीय उपयोग करने और संधारणीय जैव ईंधनों की आपूर्ति और उपलब्धता सुनिश्चित करने में सर्वोत्तम परम्पराओं के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना। इसके अलावा, जीबीए का उद्देश्य उद्योगों, देशों, पारितंत्र के कर्ताधर्ताओं और प्रमुख हितधारकों को माँग और आपूर्ति का मानचित्रण करने में सहायता करने के साथ-साथ प्रौद्योगिकी प्रदाताओं को अंतिम उपयोगकर्ताओं से जोड़ने के लिए एक आभासी बाज़ार को गतिशील बनाने में सहायता करना है;

   ग. क्षमता निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन, सदस्य देशों को कौशल विकास, ज्ञान साझाकरण और नीतियों के कार्यान्वयन में सहायता के लिए तकनीकी विशेषज्ञता और सहायता प्रदान करना;

   घ. एक वेधशाला के रूप में कार्य करना, नीति-निर्माताओं, उद्योग, शिक्षाविदों और विशेषज्ञों सहित विभिन्न हितधारकों के लिए जैव ईंधन संबंधी जानकारी जैसे कि जैव ईंधन की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी उपयोग-मामलों, आपूर्ति श्रृंखला नवोन्मेष, सफलता की कहानियों, अनुभवों और हाल के राष्ट्रीय और वैश्विक पहलों से प्राप्त सीखों को बहु-आयामी रूप से रेखांकित करने वाले विभिन्न ई-भंडारों का मानचित्रण और संदर्भ प्रदान करना;

   ङ. संधारणीय जैव ईंधन अपनाने में प्रमुख बाधाओं और चुनौतियों जैसे कि वित्तपोषण तक पहुँच, फीडस्टॉक की उपलब्धता, व्यापार की सुविधा और नियामक बाधाओं की पहचान करना और उनका समाधान करने के लिए रणनीतियाँ विकसित करना;

   च. वैश्विक जैव ईंधन व्यापार आगे बढ़ाने के लिए मौजूदा, अंतर्राष्ट्रीय संधारणीय जैव ईंधन बाजारों को बनाने, खोलने और विस्तारित करने के साथ-साथ उन्हें मजबूत करने के लिए कार्य करना; और

   छ. संधारणीय जैव ईंधनों तक पहुँच सुनिश्चत करने, व्यापक स्वीकृति और व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए, क्षेत्रीय सामंजस्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए, जहाँ तक सम्भव हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों, संहिताओं और विनियमों को अपनाने और क्रियान्वित करने में सहायता करना। आवश्यकतानुसार, विशेष रूप से ड्रॉप-इन जैव ईंधनों का व्यापार सुगम बनाने के लिए, नए अंतर्राष्ट्रीय मानकों और संहिताओं के निर्माण का प्रयास करना।